न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—02 / 15

उनवान

1—गोपालसिह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजूपत आयु वयस्क नि0 सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

2— अर्जुनसिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजूपत आयु वयस्क नि0 सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

3— मदनसिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजूपत आयु वयस्क नि0 सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1—महेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2— श्रवणसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

3—मांगु कंवर पिता भंवरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

4— समन्द कंवर पत्नि भंवरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

5— दलेलसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

6— भगवसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

7— पूर्णसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

8—मदनसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

9—राज कंवर पत्नि नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

10— स्वरूपसिंह पिता शंभूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

11—अनुकंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

12—दशरथ कंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

13—किरण कंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

14–सरोज कंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
15–नंद कंवर पत्नि नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
16–निहाल कंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
17–श्रीमान् उप पंजियक महोदय जरिये तहसीलदार सा0 रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92क, आर टी एक्ट

अधिवक्ता वादीगण
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

उपस्थित
1–जाकिर हुसैन
2–ललित सुराणा

निर्णय

दिनांक 28.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे साबिक आराजी संख्या 59 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड मे दीप सिंह पिता सरदार सिह राजपूत नि0 चिलेश्वर के नाम दर्ज थी। प्रमाण मे पुरानी जमाबन्दी संवत् 2009 से 2012 की वाद पत्र के साथ पेश है। दीपसिह पिता सरदार सिंह राजपूत ने वाद पत्र की कलम संख्या 01 में अकित कृषि आराजियात को संवत 2008 जेठ सुद 9 को वादीगण के पिता मनोहर सिंह को 61 रू मे विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तथा उसकी लिख पढी चोपनिये मे कर गवाह के समक्ष अपनी अगुठा निशानी कर दी तब से उक्त भूमि पर वादीगण के पिता व उनके पश्चात वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। दीपसिंह द्वारा वादीगण के पिता को विक्रय की गई भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 07.05.1952 को वादीगण के पिता मनोहरसिंह पिता ज्ञान सिंह राजपूत के पक्ष मे पंजीबद्ध करवा दिया परन्तु सरदार सिंह भूमि विक्रय करने के पश्चात बिमार हो जाने से वादीगण के पिता के नाम विक्रय पत्र का पंजीयन नही करा सका वे उसकी लाओलाद मृत्यु हो गई। वादग्रस्त भूमि पर क्रय की दिनांक से वादीगण के पिता व उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण काबिज होकर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है जिससे करीब 60 वर्ष हो चुके है चोपनिये की लिखा पढी व पंजीबद्ध विक्रय पत्र की प्रति वाद पत्र के साथ पेश है। तहसील रायपुर मे भू प्रबन्ध होने से ग्राम सुरास मे भी भू प्रबन्ध हुआ जिससे वाद पत्र की कलम संख्या 01 मे अंकित साबिक आराजी संख्या 59 रकबा 01 बिघा 01 बिस्वा के नवीन नंबर 81 रकबा 0.23 हे0 कायम किये गये । प्रमाण मिलान क्षैत्रफल वर्तमान जमाबन्दी की नकल साथ पेश है। उक्त कृषि आराजियात पर वक्त क्रय से

ही वादीगण के पिता एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा वादीगण के पिता एवं वादीगण ने काफी लागत एवं महनत करके वाद ग्रस्त आराजियात को उपजाउ बनाया है। उक्त कृषि आराजियात को भौम के नाम से भी जाना जाता है। वादीगण के पिता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तत्कालीन पटवारी को अपने नाम नामान्तरण दर्ज कराने हेतु दे दिया था। परन्तु राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो की लापरवाही एवं गलती से वादीगण के पिता के नाम नामान्तरकरण दर्ज नही हो सका तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही हो सके। वाद ग्रस्त आराजियात पर वादीगण का वैध विक्रय पत्र के आधार पर वैध आधिपत्य चला आ रहा है। वाद ग्रस्त कृषि आराजियात मे दीप सिंह एवं उनके वारिसान का कोई हक नही रहा है।तथा सरदार सिंह के हिस्से की जमीन भी सरदार सिंह द्वारा वादीगण के पिता को विक्रय कर दी गई है जिससे सरदार सिंह के हिस्से पर भी वादीगण के पिता एवं वादीगण काबिज होकर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे। सरदारसिंह के कोई वारिसाान नही है। तथा सरदार सिंह लाऔलाद फौत हो चुके है। प्रमाण मे खसरा परिवर्तन की नकल साथ पेश है। प्रतिवादी संख्या 01 से 16 मृतक दीप सिंह के विधिक वारिसाान है तथा दीप सिंह की मृत्यु करीब 50 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। तथा 50 वर्षो से दीप सिंह के वारिसाान ने वाद ग्रस्त आराजियात का नामान्तरण अपने नाम दर्ज नही करयाया क्योकि वह जानते थे कि वाद ग्रस्त आराजियात को दीपसिहं जी ने वादीगण के पिता को विक्रय कर दी थी। तथा न ही प्रतिवादीगण का वाद ग्रस्त भूमि पर कब्जा था वर्तमान मे कृषि भूमि की किमते बढ जाने से प्रतिवादी संख्या 01 से 16 की नियत मे फितुर आ जाने से पटवार हल्का बागोलिया से मिली भगत करते हुए वाद ग्रस्त कृषि आराजियात मे उनका हक एवं अधिकार नही होते हुए भी दिनांक 22.09.2014 को विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया जो गलत होकर अवैध है इससे प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है। नामान्तरकाण फिस्कल प्रोसेडिग है। वादीगण सद्भाविक क्रेता है तथा दिनांक 07.05.1952 से वैध पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर मालीकाना हक से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।परन्तु राजस्व अभिलेख मे वादीगण का नाम दर्ज नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर प्रतिकूल असर पड़ रहा जिससे इस आशय की घोसणात्मक डिक्री पारीत किया जाना आवश्यक है कि वादीगण वादग्रस्त कृषि आराजियात के खातेदार काश्तकार है व राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 से 16 व सरदार सिंह का नाम विलोपित करवाया जाकर वादीगण का नाम अंकित करवाया जाना आवश्यक हो गया है। वाद ग्रस्त भूमि पर वक्त क्रय से ही वादीगण के पिता एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण निरन्तर एवं निर्बाध रूप से मालीकाना हक से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे किन्तु वाद ग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 01 से 16 ने दीप सिंह के बजाय अपना नाम बिना किसी अधिकार के दर्ज करवा दिया है। तथा उक्त कृषि आराजियात को अन्य को रहन व बक्षीस करने पर आमादा है एवं वादीगण जबरन बेदखल करने आमादा है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक 07.10.2014 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 29.01.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या

2 तथा 04 से 07 व 9 एवं 14, 15, 16 की ओर से अधिकार पत्र ललित कुमार सुराणा अधिवक्ता का पेश किया जो शामिल फाईल किया गया तथा अवशेष प्रतिवादीगण की अण्डर टेंकिग ली गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा अवशेष प्रतिवादीगण की अण्डर टेंकिग लेने के पश्चात् भी अधिकार पत्र पेश नही किया जाने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.02.2019 को राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल फाईल किया गया। राजीनामा मे प्रतिवादीगण ने ग्राम सुरास की साबिक आराजी नम्बर 59 रकबा 01 बिघा 01 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 81 रकबा 0.23 हे0 मे अपना कोई हक अधिकार नही होने तथा अपना व सरदार सिंह का नाम विलोपित कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षो की बहस सुनी हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे साबिक जमाबंदिया एवं गोपनिय की लिखा पढी दिनांक संवत् 2008 जेठ सुद 9 व विक्रय पत्र दिनांक 07.05.1952 का अवलोकन किया जिसमे सरदार सिंह एवं दीप सिंह द्वारा उक्त वाद ग्रस्त भूमि को वादीगण के पिता द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जाना पाया जाता है तथा वर्तमान मे भी वादीगण ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हुआ जिसके अनुसार ग्राम सुरास की साबिक आराजी नम्बर 59 रकबा 01 बिघा 01 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 81 रकबा 0.23 हे0 मे अपना कोई हक अधिकार नही होने तथा अपना व सरदार सिंह का नाम विलोपित कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम सुरास की साबिक आराजी नम्बर 59 रकबा 01 बिघा 01 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 81 रकबा 0.23 हे0 मे प्रतिवादीगण तथा सरदार सिंह का नाम विलोपित कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार जारी की जाती है कि ग्राम सुरास की साबिक आराजी नम्बर 59 रकबा 01 बिघा 01 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 81 रकबा 0.23 हे0 मे प्रतिवादीगण तथा सरदार सिंह का नाम विलोपित कर वादीगण को राजीनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.02..2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः–श्री गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–02/15

उनवान

1–गोपालसिह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजूपत आयु वयस्क नि0 सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

2– अर्जुनसिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजूपत आयु वयस्क नि0 सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

3– मदनसिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजूपत आयु वयस्क नि0 सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1–महेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2– श्रवणसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

3–मांगु कंवर पिता भंवरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

4– समन्द कंवर पत्नि भंवरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

5– दलेलसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

6– भगवसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

7– पूर्णसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

8–मदनसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

9–राज कंवर पत्नि नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

10– स्वरूपसिंह पिता शंभूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

11–अनुकंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

12–दशरथ कंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

13–किरण कंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

14–सरोज कंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
15–नंद कंवर पत्नि नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
16–निहाल कंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क नि0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
17–श्रीमान् उप पंजियक महोदय जरिये तहसीलदार सा0 रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92क, आर टी एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ग्राम सुरास की साबिक आराजी नम्बर 59 रकबा 01 बिघा 01 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 81 रकबा 0.23 हे0 मे प्रतिवादीगण तथा सरदार सिंह का नाम विलोपित कर वादीगण को राजीनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 28.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा